

प्रशासन गांधी के संग अभियान - 2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का सलावटिया

महोदयजी, निवेदन है कि शर्मा का नाम ग्राम सलावटिया के खाना 330 पर दीपक पुत्र राधेश्याम नट के अंतर्गत है जो कि 14-01-2007 के अनुसार शर्मा नाबालिग है और राजेश्वर के माते में जी.ए. के अंतर्गत नाबालिग करी किया जाना उचित है।

उपरोक्त रिपोर्ट पटवारी सलावटिया के अंतर्गत है जो कि 330 पर दीपक पुत्र राधेश्याम नट के अंतर्गत है जो कि 14-01-2007 के अनुसार शर्मा नाबालिग है और राजेश्वर के माते में जी.ए. के अंतर्गत नाबालिग करी किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार, विजापूरिया
 क्र.सं/राजस्व/21/15
 महीदपानी
 दि. 30.11.2021

निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी सलावटिया के अंतर्गत है जो कि 330 पर दीपक पुत्र राधेश्याम नट के अंतर्गत है जो कि 14-01-2007 के अनुसार शर्मा नाबालिग है और राजेश्वर के माते में जी.ए. के अंतर्गत नाबालिग करी किया जाना उचित है।

तहसीलदार

प.ट. पटवारी सलावटिया व भू.अ.नि. सलावटिया की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार विजापूरिया की स्पष्ट अनुमति के आधार पर आवेदन की ग्राम सलावटिया की खाना संख्या 330 में शर्मा दीपक पुत्र राधेश्याम नट के अंतर्गत दीपक पुत्र स्कंधि राधेश्याम नाबालिग संरक्षक पार्वती नट किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
 विजापूरिया

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिर्जालियाँ
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान.....कोय्या.....

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सत्तावरियों की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिर्जालियाँ की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सत्तावरियों तहसील बिर्जालियाँ जिला की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खाता संख्या 330 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	सत्तावरियाँ	330	दीपक पुत्र राधेश्याम जाति नर अंकित है।	दीपक पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम नाबालिग संरक्षक पार्वती देवी जाति नर किया जाता है।



(सौमिा तिवारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, बिर्जालियाँ

दिनांक :- 30/11/2021

क्रमांक :- 306/2021

तारीख :-

1. तहसीलदार, बिर्जालियाँ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री दीपक पुत्र स्व. राधेश्याम नाबालिग संरक्षक पार्वती देवी को सूचनाथ।
3. संरक्षित पत्रावली।

जाति नर नि. सत्तावरियाँ।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, बिर्जालियाँ